दैनिक जागरण
सहनशीलता में भी एक अद्भुत शक्ति समाई होती है

सस्ती सियासत

उन्नाव में दुष्कर्म के आरोपियों की ओर से जलाई गई युवती की दिल्ली के एक अस्पताल में मौत के बाद यदि लोगों को गुस्सा फूट पड़ा है तो यह स्वाभाविक है, लेकिन कुछ नेता और राजनीतिक दल इस गुस्से को जिस तरह भुनाने में लगे हुए हैं वह राजनीति नहीं, घटिया राजनीति का ही शर्मनाक उदाहरण है। उन्नाव की घटना पर विपक्षी नेता धरना-प्रदर्शन के साथ सरकार और पुलिस को इस तरह कोसने में लगे हुए हैं जैसे वह अपराधियों के बचाव में खड़ी हो। दुष्कर्म के मामलों को लेकर राजनीतिक लाभ हासिल करने की लालसा किस हद तक पहुंच चुकी है, इसका पता राहुल गांधी के इस बयान से चलता है कि भारत दुष्कर्म की राजधानी बन गया है। आखिर यह संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश में देश को बदनाम करने वाला बयान नहीं तो और क्या है? इससे इन्कार नहीं कि हाल के समय में दुष्कर्म के मामले बढ़े हैं और दुष्कर्मी तत्वों के खिलाफ वैसी त्वरित कार्रवाई भी नहीं हो पा रही जैसी होनी चाहिए, लेकिन आखिर इस नतीजे पर कैसे पहुंचा जा रहा है कि भारत दुष्कर्म की राजधानी में तब्दील हो गया है? क्या ऐसे भारत से कांग्रेस शासित प्रदेश बाहर हैं या फिर राहुल यह कहना चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि में सब ठीक है?

इससे बुरा और कुछ नहीं कि राजनीतिक दल दुष्कर्म सरीखे घिनौने अपराध पर राजनीतिक रोटियां सेंकते नजर आएं, लेकिन यह प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है और उसका प्रदर्शन संसद से लेकर सड़क तक किया जा रहा है। जो दल जहां सत्ता में है वह वहां के दुष्कर्म की घटनाओं की अनदेखी कर अन्य राज्यों की ऐसी ही घटनाओं पर आपा खोने का दिखावा कर रहा है। जो विपक्ष में हैं वे ऐसा दिखा रहे जैसे उनके सत्ता से हटते ही दुष्कर्म की घटनाएं बेलगाम हो गई हैं। कुछ नेता ऐसे भी हैं जो बिना सोचे-समझे दुष्कर्म के आरोपियों को हैदराबाद सरीखी मुठभेड़ का शिकार बनाने की मांग कर रहे हैं। यह सस्ती और छिछली राजनीति है। दुष्कर्म की घटनाएं कोई राजनीतिक समस्या नहीं हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध और खासकर दुष्कर्म एक सामाजिक समस्या हैं। इस समस्या का समाधान सड़कों पर शोर मचाने से नहीं, सामाजिक माहौल और साथ ही लोगों की मानसिकता बदलने से होगा। क्या राजनीतिक दल इसमें सहयोग कर रहे हैं? सवाल यह भी है कि क्या वे पुलिस को समर्थ बनाने और न्यायिक प्रक्रिया की खामियों को दूर करने में सहायक बन रहे हैं? हालात यही अधिक बयान करते हैं कि वे अपनी जिम्मेदारी निभाने के बहाने गैर जिम्मेदारी का ही परिचय दे रहे हैं।

नया आतंकी संगठन

बांग्लादेश से घुसपैठ कर बंगाल समेत देश के कई राज्यों में जड़े जमाने वाले आतंकी संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) पर नकेल कसने में जांच एजेंसियां काफी हद तक सफल हुई हैं। इन सबके बीच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) को नए आतंकी संगठन 'अंसारुल्लाह बांग्ला' का पता चला है, जिसने कर्नाटक, बंगाल और मेघालय में चुपके-चुपके अपने पैर पसार लिए हैं। एनआइए इस आतंकी संगठन से जुड़े सदस्यों को चिन्हित कर उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश में है। एनआइए की टीम को अंसारुल्लाह बांग्ला के बारे में तब जानकारी मिली, जब मेघालय से फरहान नामक युवक की गिरफ्तारी हुई। कोलकाता लाए गए फरहान ने जांच एजेंसी को पूछताछ में बताया कि वह बेंगलुरु में एक छात्र के रूप में रह रहा था। उसके साथ एक और संदिग्ध था, जो फरार है। एनआइए ने फरहान से मिली सूचनाओं का सत्यापन शुरू किया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इस आतंकी संगठन के इरादे खतरनाक हैं। वह भारत में अशांति फैलाने के साथ ही अपना विस्तार करना चाहता है। माना जा रहा है कि अंसारुल्लाह बांग्ला की जड़ें भी बांग्लादेश में हैं क्योंकि पड़ोसी देश में सक्रिय आतंकी संगठनों की नजर हमेशा से भारत, खासकर सीमावर्ती देशों पर रही हैं। गतिविधियों के तार जुड़े होने की आशंका तो बहुत पहले से थी लेकिन दो अक्टूबर, 2014 को तत्कालीन बर्द्धमान जिले के खागरागढ़ में एक घर में हुए धमाके ने सुराग दे दिए। उस धमाके में दो लोग मारे गए थे। एनआइए ने जब इस धमाके की जांच शुरू की तो पता चला कि इसमें जेएमबी का हाथ है। इसका जाल पूरे बंगाल ही नहीं, असम, झारखंड और बिहार तक फैला हुआ है। बाद में जेएमबी के अलकायदा और आइएसआइएस से जुड़े होने के प्रमाण भी मिले। कार्रवाई शुरू हुई तो परत-दर-परत खुलती चली गई। असम, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों से जेएमबी ने अपने तार जोड़ लिए थे। इसके बाद जेएमबी के स्लीपिंग सेल्स की गिरफ्तारी शुरू हुई तो फिर नए रहस्य उजागर होने लगे और कई गिरफ्तारियां भी हुईं। असल में उनका लक्ष्य ग्रेटर बांग्लादेश का निर्माण था, जिसमें मुर्शिदाबाद व मालदा जैसे सीमावर्ती जिलों को शामिल कर सीमा विस्तार था। यह संगठन ग्रेटर बांग्लादेश बनाकर वहां शरिया कानून लागू करने का भी ख्वाब देख रहा था और उस दिशा में ठोस रणनीति भी बनाई गई थी। उनके खतरनाक इरादों की भनक लगते ही एनआइए ने पूरी रणनीति विफल कर दी। गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ तो अंसारुल्लाह बांग्ला की भी हकीकत सामने आ गई।

नागरिकता निर्धारण का सही तरीका

संजय गुप्त

नागरिकता विधेयक पर विचार करते समय राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी जाए, न कि वोट बैंक की राजनीति को। यह राजनीति पहले ही देश का बहुत नुकसान कर चुकी है

मोदी सरकार दूसरे कार्यकाल में अपने चुनावी वायदों को पूरा करने के लिए किस तरह प्रतिबद्ध है, इसका एक उदाहरण तीन तलाक पर कानून का निर्माण करने से मिलता है और दूसरा कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने से। इन दोनों वायदों को पूरा करने के बाद मोदी सरकार अब नागरिकता कानून में संशोधन को लेकर संकल्पबद्ध दिख रही है। केंद्रीय कैबिनेट ने नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के मसौदे का कई राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वाले दल वही हैं जो अतीत में पूर्वोत्तर में होने वाली घुसपैठ को लेकर शुतुरमुर्गी रवैया अपनाए रहे। इसी रवैये के कारण वे असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर का भी विरोध कर रहे हैं। इन दलों के विपरीत भाजपा प्रारंभ से यह कहती आ रही है कि असम में घुसपैठ रोकने के साथ ही बाहर और खासकर बांग्लादेश से आए लोगों की पहचान होनी चाहिए। नागरिकता रजिस्टर के जरिये यही काम किया गया है। भाजपा की यह भी दलील है कि अवैध घुसपैठ से न केवल देश के संसाधनों पर बोझ बढ़ रहा है, बल्कि पूर्वोत्तर के कई राज्यों में स्थानीय संस्कृति के लिए खतरा भी पैदा हो रहा है। यह खतरा काल्पनिक नहीं है, क्योंकि असम में बांग्लादेश से आ बसे लाखों लोगों के कारण स्थानीय भाषा, संस्कृति खतरे में पड़ गई है। इन लोगों ने स्थानीय नेताओं का संरक्षण पाकर राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र तक हासिल कर लिए हैं। ऐसे लोगों को वोट बैंक राजनीति के चलते अभी भी संरक्षण मिल रहा है।

बांग्लादेश से अवैध रूप से असम आए लोगों के कारण इस राज्य के साथ अन्य पड़ोसी राज्यों के विभिन्न हिस्सों में राजनीतिक-सामाजिक माहौल बदल गया है। कई हिस्सों में स्थानीय लोग अल्पसंख्यक हो गए हैं या फिर उनके वोटों के बजाय बाहरी लोगों के वोट निर्णायक बन गए हैं। हैरानी है कि कई राजनीतिक दल इस सच्चाई का संज्ञान लेने की जरूरत नहीं समझ रहे हैं। वे इसकी भी अनदेखी कर रहे हैं कि कहीं बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं? बांग्लादेश से आए लोगों में एक बड़ी संख्या मुसलमानों की है और वे उत्पीड़न नहीं, बल्कि बेहतर आर्थिक जीवन की लालसा में अवैध रूप से भारत आए हैं, जबकि हिंदू और बौद्ध उत्पीड़न से त्रस्त होकर। इसी को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में आस्था रखने वाले पड़ोसी देशों से आए सैकड़ों परिवारों की नागरिकता का रास्ता खुलेगा तो उससे उनका बेहतर भविष्य सुनिश्चित होगा। पता नहीं नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे दल यह देखने को तैयार क्यों नहीं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक आबादी कितनी तेजी से घटती जा रही है? इन तीनों देशों में हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, ईसाइयों, पारसियों आदि की आबादी में कमी का एक बड़ा कारण उनका उत्पीड़न है। इस उत्पीड़न से बचने के लिए आम तौर पर वे भारत की ओर ही रुख करते हैं। इसका कारण उनका यह भरोसा है कि वे यहां निर्भय होकर अपना जीवन बिता सकते हैं, लेकिन उनकी नागरिकता विवाद का विषय बन गई है। इसी के साथ एनआरसी के जरिये 19 लाख लोगों को बाहरी करार देने का मसला भी विवाद का कारण बना हुआ है। असम के लोग जहां इससे नाखुश हैं कि इतने कम लोगों को ही अवैध नागरिकों के तौर चिन्हित किया गया वहीं भारत सरकार की समस्या यह है कि इनमें तमाम हिंदू हैं। असम के कई संगठन इन बांग्लाभाषी हिंदुओं को भी शरण देने का विरोध कर रहे हैं। इनमें से कुछ नागरिकता विधेयक के भी विरोध में हैं।

अवधेश राजपूत

नागरिकता संशोधन विधेयक में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले वहां के अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनों, ईसाइयों और पारसियों को कुछ शर्तों के साथ नागरिकता देने का प्रावधान है। इन देशों के मुसलमानों को इसलिए बाहर रखा गया है, क्योंकि बहुसंख्यक होने के नाते उनके उत्पीड़न की गुंजाइश नहीं। सरकार का तर्क है कि इन तीनों देशों के जो मुसलमान भारत आते हैं वे बेहतर जीवन-यापन के इरादे से आते हैं और ऐसे लोगों को उत्पीड़ित लोगों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। वास्तव में उत्पीड़न के शिकार लोगों और बेहतर जीवन की तलाश में आए लोगों में भेद करने को न तो अन्याय कहा जा सकता है और न ही यह दलील दी जा सकती है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यक भारत के अलावा अन्य किसी पड़ोसी देश में आसानी से शरण पा सकते हैं।

कांग्रेस समेत अन्य दलों का मानना है कि प्रस्तावित नागरिकता संशोधन विधेयक भारतीय मूल्यों और खासकर पंथनिरपेक्ष मूल्यों के खिलाफ है, लेकिन आखिर वे इसकी अनदेखी कैसे कर सकते हैं कि भारतीय कानून भारत के लोगों पर लागू होते हैं, न कि बाहर से गैर कानूनी तौर पर आए लोगों पर। अगर इस तथ्य को अनदेखा किया जाएगा तो फिर दुनिया भर के देशों से अवैध रूप से आए लोग यही मांग करेंगे कि उनमें और भारतीय नागरिकों में भेद न किया जाए। क्या यह मांग मानना संभव है?

भारतीय संविधान का समानता संबंधी कानून उन्हीं पर लागू हो सकता है जो भारतीय नागरिक हों। नागरिकता विधेयक का विरोध कर रहे दलों को यह नहीं भूलना चाहिए कि यह तय करने का अधिकार भारत के पास है कि वह किसे शरण अथवा नागरिकता दे या न दे? इस अधिकार का इस्तेमाल करते समय राष्ट्रीय हितों पर ध्यान देना आवश्यक है। क्या यह राष्ट्रीय हित में होगा कि पूर्वोत्तर भारत में बाहर से आए ऐसे लोगों को भी बसने दिया जाए जो स्थानीय संस्कृति के लिए खतरा बन रहे हैं? जो विपक्षी दल नागरिकता विधेयक का विरोध कर रहे हैं उन्हें यह समझना होगा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों और वहां के बहुसंख्यकों को एक नजर से देखने का औचित्य नहीं बनता। बेहतर होगा कि इस विधेयक पर विचार करते समय राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी जाए, न कि वोट बैंक की राजनीति को। यह राजनीति पहले ही देश का बहुत नुकसान कर चुकी है। जिन लाखों लोगों की पहचान घुसपैठियों के रूप में की जा चुकी है उनकी कानूनी हैसियत तय करना भी एक जटिल मसला है। इस मसले को सुलझाना ही होगा, क्योंकि इन लाखों लोगों को उनके मूल देश भेजना संभव नहीं। यह भी स्पष्ट है कि उन्हें लंबे समय तक शिविरों में रखना भी संभव नहीं। उचित यह होगा कि नागरिकता निर्धारण के उचित तरीकों पर आम राय बनाने के साथ ही इस पर भी सहमति कायम हो कि शरणार्थियों को क्या सुविधाएं दी जानी चाहिए और क्या नहीं? नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे दलों को इससे भी परिचित होना चाहिए कि मोदी सरकार वही कर रही है जो करने का उसने वायदा किया था और जिसके लिए उसे जनादेश भी मिला।

response@jagran.com

तारीख पर तारीख पाता न्याय

हास्य-व्यंग्य

संतोष त्रिवेदी

'हम तो शपथ भी सत्य की खाते हैं। इसके बाद खाने को कुछ बचता ही नहीं।' सरेआम यह सुनकर सत्य भी शरमा गया

इन दिनों 'लोकतंत्र' और 'सत्य' लगातार खबरों में बने हुए हैं। इससे पुष्टि होती है कि ये दोनों अभी तक जीवित हैं। इसके बावजूद हर दूसरे दिन 'लोकतंत्र की हत्या' होने की मुनादी पिटती है, पर यह सशक्त लोकतंत्र का कमाल ही है कि वह अगले दिन सही-सलामत और दुरुस्त पाया जाता है। अचानक 'लोकतंत्र की जीत' होती है। कुछ ऐसा ही बेचारे 'सत्य' के साथ भी घटित होता है। जब भी लोकतंत्र को थोड़ी कमजोरी महसूस होती है, वह सत्य का टॉनिक पी लेता है। 'सत्य' स्वाभिमानी होता है। वह सदन से उठकर पांचसितारा होटलों में सुकून की सांस लेता है और तब तो 'सत्य की जीत' जरूर होती है जब किसी आरोपी को सहसा 'न्याय' मिल जाता है।

अपना देश कोई आम लोकतंत्र नहीं है। जैसे देश का आखिरी आदमी मरते-मरते जी उठता है, ठीक वैसे ही अपना लोकतंत्र भी अंतिम सांस निकलने से पहले एकदम से चिहुंक उठता है। यह लोकतंत्र का चमत्कार ही है कि न्याय की आस में पीड़ित का दम निकलता है तो निकल जाए, पर 'न्यायिक-व्यवस्था' का बाल-बांका भी नहीं होता! दस साल में न्याय दस कदम भले न बढ़ पाए, मगर उसकी फाइलें नौ दिन में अढ़ाई कोस जरूर चल लेती हैं। अंधा होने के कारण कानून खुद नहीं देख पाता। इसीलिए व्यवस्था उसे 'टॉर्च' दिखाती है। वैसे 'सत्य' है भी बड़ा अनूठा। एक ही समय में वह सबके पास होता है। सबका अपना 'सत्य' होता है। यहां नींव भले असत्य की हो, लेकिन उस पर झंडा सत्य का ही फहरता है। साधक को जो दिखता है, वह सत्य होता है। जो नहीं दिखता वही असल सत्य होता है। इसमें एक और खास बात है। वह यह कि सत्य हमेशा 'सबल' होता है। बलवान के पास ही रहता है। निर्बल तो सत्य को परेशान करने की जहमत भी नहीं उठाता। बाहुबलियों को अपने सत्य पर पूरा भरोसा होता है। परम ज्ञानियों ने इन्हीं वजहों से इसे अपना जीवन-वाक्य बनाया है। इसमें एक बात कि सत्य को हमेशा प्रिय पसंद है। अप्रिय सत्य दुखकारी होता है। इसीलिए साधुजन सदैव सत्य बोलते हैं।

महान लोगों के 'सत्य' को स्थापित करने में जिस घटक की खास भूमिका है, वह है लोकतंत्र। यह ऐसा अभेद्य कवच है जिसे कोई भेद नहीं सकता। बड़े-बड़े संकट 'लोकतंत्र' की छतरी के नीचे समाधान पाते हैं। 'खतरे' सदैव सुरक्षित होते हैं और फलते-फूलते भी हैं। इसीलिए हमारा लोकतंत्र अब तक मजबूत बना हुआ है। सड़क से संसद तक इसके जबरदस्त पैरोकार हैं। यह रैलियों और भाषणों का सार होता है। चुनावों में इसे बड़े आदर से पूजते हैं। बाद में श्रद्धापूर्वक इसका आचमन भी किया जाता है। ये बड़ा संवेदनशील होता है। जरा सी बात पर 'हर्ट' हो लेता है और बड़ी बात पर संज्ञा-शून्य। आजकल 'प्राइम-टाइम' की सारी बहस इसी पर टिकी हुई हैं। वहां 'लोकतंत्र' और 'न्याय' में सीधी टक्कर चल रही थी। लोकतंत्र का कहना था कि 'न्याय' ने उसकी व्यवस्था में सीधा दखल दिया है जबकि उसे कुछ करने का नहीं, सिर्फ देखने का अधिकार है। यह उसकी 'अति-सक्रियता' है। ऐसे में लोकतंत्र कैसे चलेगा? 'सत्य' तो उसके साथ है। जीत भी उसी की होनी चाहिए। ऐसे ही चलता रहा तो अराजकता फैल जाएगी!

इस पर 'न्याय' ने भी अपने तर्क दिए। हम कब तक मूकदर्शक बने रहेंगे? इंसान हमारी ओर टकटकी लगाए देख रहा है। अब तो पट्टी-बंधी इन आंखों में दर्द भी होने लगा है। 'लोकतंत्र' का लोक लुप्त हो रहा है। यह सुनकर सत्य ने बगल में बैठी 'व्यवस्था' को कोहनी मारी। वह जोर से हंसी। कहने लगी, 'तुम सभी हमारे सहयोग के लिए बनाए गए हो। केवल काम करिए। सोचने का काम हमारा है। अगर हमें कुछ हुआ तो तुम एक भी नहीं बचोगे। रही बात आदमी की, यह सब उसके लिए नया नहीं है। 'लोकतंत्र' तो बना ही हम दोनों से है। इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। हम तो शपथ भी सत्य की खाते हैं। इसके बाद खाने को कुछ बचता ही नहीं।' सरेआम ऐसे सत्यवचन सुनकर सत्य भी शरमा गया। वह पानी-पानी होता, इससे पहले ही लोकतंत्र ने बचा लिया। बहस देखता आदमी सकते में था। तभी न्याय ने तनिक झेंपते हुए कुछ कहना चाहा, पर उसे अगली तारीख मिल गई। इस तरह बहस में भी 'लोकतंत्र की जीत' हुई।

response@jagran.com

ऊर्जा

असफलता से सबक

जीवन में सफलता और असफलता का क्रम चलता रहता है। असफलता कुछ देर के लिए निराश व हतोत्साहित जरूर कर देती है, लेकिन यह हमें एक नया अवसर भी प्रदान करती है। अतः असफलता को सफलता की पहली सीढ़ी माना जाता है। सफलता का असली आनंद भी असफलता के बाद ही आता है। वही व्यक्ति अपेक्षित एवं मनवांछित सफलता अर्जित कर पाता है जो अपनी गलतियों से सबक लेना जानता है। अक्सर कुछ लोग असफल होने के बाद अपने बचाव के लिए नाना प्रकार के बहाने गढ़ने लग जाते हैं। मसलन, मैं तो गरीब था। मेरे पास तो सुविधाओं की कमी थी। धन के अभाव में अच्छी कोचिंग नहीं ले सका आदि-इत्यादि। ऐसे ढेरों बहानों की आड़ में कुछ लोग अपनी असफलता को छिपाने व औरों की नजरों में सहानुभूति का पात्र बनने में लग जाते हैं, लेकिन वे इस बात से अनजान रहते हैं कि असफलता भी एक पड़ाव है और उसका सफलता से बहुत गहरा सरोकार है।

बहानों के आवरण में अपनी असफलता को छिपाने वाले व्यक्ति न तो स्वयं कभी सफल हो पाते हैं और न ही किसी के लिए प्रेरणास्रोत बनते हैं। अपनी असफलता के बाद आंखों से पानी बहाने वाले सफलता के लिए पसीना बहाने की बात से कभी सहमत नहीं होते हैं। उनका जीवन अंधकार की गुहा सरीखा होकर रह जाता है। असफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण है भटकाव। आज अधिकांश छात्र इसीलिए सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे दिशाहीन होकर भटक जाते हैं। यह भटकाव उनको दिनोंदिन झूठे सपनों के साकार होने की आस में अपनी मंजिल से दूर करता जाता है। ऐसे लोग अपनी असफलता के लिए प्रायः यह कहते पाए जाते हैं कि आजकल नौकरियां कहां मिल पाती हैं? अब तो पुरुषार्थ के बजाय लोगों की पहुंच ज्यादा काम आती है। इन गलतफहमियों में जीने वाले न तो असफलता के बाद स्वयं का आकलन करते हैं और न ही अपने भटकाव को समझ पाते हैं। सोचिए कि अगर यही धारणा तमाम नवप्रवर्तकों ने अपनाई होती तो क्या वे मिसाल बन पाते।

देवेंद्रराज सुथार

तथ्य-कथ्य | देश के प्याज उत्पादन में राज्यों की हिस्सेदारी

(आंकड़े प्रतिशत में)

स्रोत: कृषि मंत्रालय

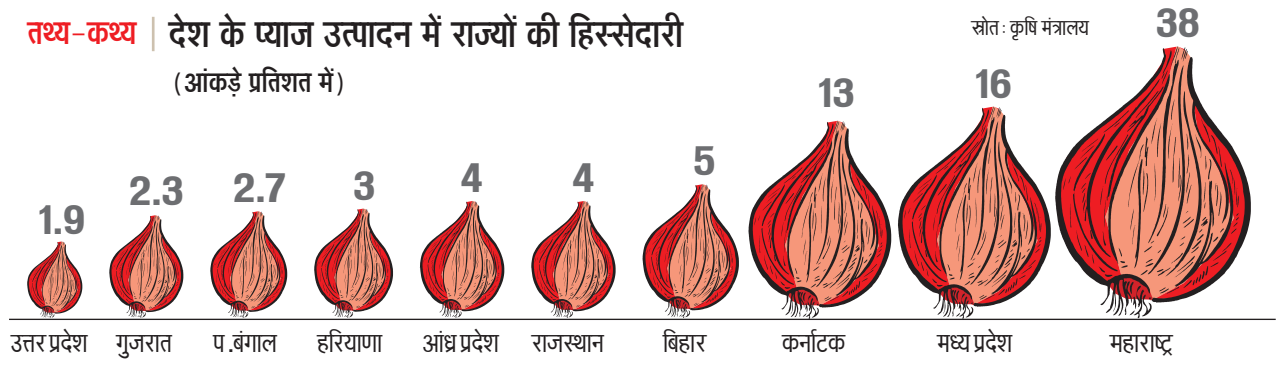

अनोखे तारे और अनूठे ग्रह की जोड़ी

मुकुल व्यास

यह ग्रह दस दिन में अपने तारे की परिक्रमा पूरी करता है और इस दौरान मुख्य रूप से तीन गैसें उत्सर्जित करता है

वैज्ञानिकों को पहली बार एक 'मृत' तारे के इर्दगिर्द परिक्रमा करने वाले एक विशाल ग्रह का प्रमाण मिला है जो किसी तारे की मृतावस्था में रूपांतरण को झेलने में सफल रहा हो। इस दूरवर्ती ग्रह का प्रमाण गैस डिस्क से मिला है जो उसके वाष्पशील वायुमंडल से उत्पन्न हुई है। वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया नेप्च्यून यानी वरुण जैसा ग्रह संभवतः पृथ्वी के आकार जितने तारे से चार गुना बड़ा है। यह विशाल ग्रह प्रत्येक दस दिन में अपने तारे की परिक्रमा पूरी करता है। ऐसा करते हुए वह हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर युक्त गैस छोड़ता है।

यह ग्रह जिस तरह के तारे की परिक्रमा कर रहा है उसे 'व्हाइट ड्वॉर्फ' कहा जाता है। यह दरअसल ऐसे तारों के अवशेष होते हैं जिनका आणविक ईंधन समाप्त हो चुका है। व्हाइट ड्वॉर्फ तारों का द्रव्यमान लगभग सूरज के बराबर होता है, लेकिन उनका अर्धव्यास पृथ्वी जितना होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वे बहुत ज्यादा घने होते हैं। व्हाइट ड्वॉर्फ तारे का आकार घटकर मूल तारे का सौवां हिस्सा ही रह जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उनके इर्दगिर्द चक्कर लगाने वाले ग्रहों को पहले की तरह गर्मी नहीं मिलेगी। किसी ग्रह को अपनी सतह पर तरल पदार्थ की मौजूदगी के लिए व्हाइट ड्वॉर्फ की परिक्रमा करते हुए जो दूरी रखनी होगी, वह पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी की तुलना में 75 गुना अधिक निकट होनी चाहिए।

नए ग्रह की खोज ब्रिटेन की वॉरविक यूनिवर्सिटी और अमेरिका की वेलप्राइसो यूनिवर्सिटी के खगोल वैज्ञानिकों ने की है। इसका विवरण 'नेचर' पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। वैज्ञानिकों का दावा है कि किसी व्हाइट ड्वॉर्फ के इर्दगिर्द चक्कर लगाने वाले विशाल ग्रह का यह पहला प्रमाण है। उनका कहना है कि यह तारा पृथ्वी से करीब दो हजार प्रकाश वर्ष दूर है। 'डब्ल्यूडीजे 0914 + 1914' नामक तारे की पहचान 10,000 व्हाइट ड्वॉर्फ तारों के पर्यवेक्षण के दौरान की गई। शोधकर्ताओं ने चिली स्थित यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के वेरी लार्ज टेलीस्कोप का प्रयोग कर यह पता लगाया कि इस तारे और उसके इर्दगिर्द हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर मौजूद हो सकते हैं। अध्ययन के प्रमुख लेखक और वॉरविक यूनिवर्सिटी के डॉ. बोरिस गेनसिक का कहना है, 'शुरू में हमने इसे दो तारों वाली प्रणाली समझा था, लेकिन गहन पर्यवेक्षण के बाद यह स्पष्ट हो गया कि यह दरअसल एक अनोखा तारा है। वेलप्राइसो यूनिवर्सिटी के डॉ. मैथियास श्राइबर ने हिसाब लगाया कि 28,000 सेल्सियस के तापमान वाला व्हाइट ड्वॉर्फ तारा बर्फीले ग्रह पर तीव्र ऊर्जा वाले फोटोन कणों की बमबारी से धीरे-धीरे उसे वाष्पित कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस तारे के पास एक ग्रह है जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते, लेकिन तारा इतना गर्म है कि वह ग्रह को वाष्पित कर रहा है और हम उस वायुमंडल को डिटेक्ट कर सकते हैं जिसे वह खो रहा है। पिछले दो दशकों के दौरान वैज्ञानिकों को इस बात के प्रमाण मिले हैं कि ग्रह तारों की व्हाइट ड्वॉर्फ अवस्था को झेल सकते हैं। इस संदर्भ में नई खोज महत्वपूर्ण है।

(लेखक विज्ञान के जानकार हैं)

राजरंग

परिवार की परंपरा

राजनीति के बारे में अमूमन कहा जाता है कि यहां अपने भी पराये हो जाते हैं। इसकी तमाम मिसालें भरी पड़ी हैं, लेकिन अक्सर परिवारवाद के आरोपों से जूझने वाली लोजपा ने तो पारिवारिक स्नेह के मामले में अनूठा उदाहरण ही पेश किया है। रामविलास पासवान के पुत्र और अब लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान जब 2014 में लोकसभा चुनाव जीतकर पहली बार संसद पहुंचे थे तो चाचा रामचंद्र पासवान ने उन्हें संसदीय प्रक्रियाओं से परिचित कराया था। बाद में जब रामविलास के दूसरे नंबर के भाई पशुपति पारस लोकसभा पहुंचे तो रामचंद्र ने उन्हें भी संसद से अवगत कराया। अब रामचंद्र पासवान के पुत्र प्रिंस उपचुनाव में जीतकर लोकसभा पहुचें हैं तो चिराग ने यह जिम्मेदारी खुद संभाली। मसलन नए नवेले सांसद के साथ आना, साथ जाना और संसद में चल रही कार्यवाही का पूरा अर्थ समझाना तथा प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। खुद बिहार में ही जब राजद के अंदर परिवार में तीखी लड़ाई छिड़ी हो, हरियाणा में एक परिवार के लोग एक दूसरे की आंखों में खटक रहे हों तो लोजपा ने पारिवारिक कड़ियों को जोड़कर एक अलग ही मिसाल कायम की है।

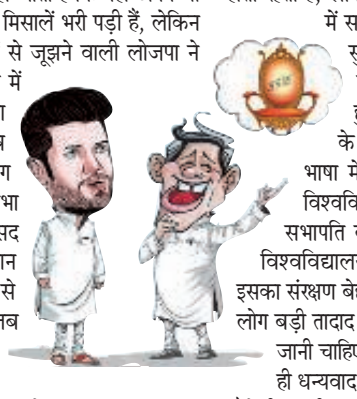

सदन में ठहाके

संसद में तीखी नोकझोंक, नारेबाजी और हंगामा तो अक्सर होता रहता है, लेकिन ऐसे मौके कम ही आते हैं जब सदन में सदस्यों के बीच हंसी-ठिठोली की गूंज भी सुनाई देती हो। राज्यसभा में बीते दिनों ऐसा ही एक वाकया देखने को मिला। हुआ यूं कि शून्यकाल के दौरान भाजपा के राज्यसभा सदस्य प्रभात झा ने मैथिली भाषा में बोलते हुए मैथिली भाषा को दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने की मांग की। उन्होंने सभापति वेंकैया नायडू से कहा कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर हैं, ऐसे में आपके द्वारा इसका संरक्षण बेहद जरूरी है। वैसे भी दिल्ली में बिहार के लोग बड़ी तादाद में रहते हैं, ऐसे में मैथिली भाषा पढ़ाई ही जानी चाहिए। खास बात यह रही कि झा ने मैथिली में ही धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात समाप्त की। जैसे ही उनकी बात पूरी हुई, सभापति ने भी अपने अंदाज में कहा कि आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद..छे। (है) इसके बाद तो पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा।

नए माहौल में बदली जुबां

कूटनीति की दुनिया में वैसे तो अभी तक अंग्रेजी का ही बोलबाला रहा है जो बहुत हद तक स्वाभाविक भी है, लेकिन अब धीरे-धीरे हिंदी भी असर छोड़ने लगी है। कुछ साल पहले तक विदेश मंत्रालय के गलियारों में हिंदी का प्रचलन बेहद सीमित था। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के कार्यकाल में इस मोर्चे पर भारी बदलाव दिखा। अब यह बदलाव इस कदर आकार ले रहा है कि दूसरे देशों के राजनयिक भी हिंदी बोलने लगे हैं। शुक्रवार को भारत दौरे पर पहुंचे लिथुआनिया के विदेश सचिव तलत केलप्सा ने एक कार्यक्रम के दौरान हिंदी में बोलकर भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को भी अचंभित कर दिया। संतोष की बात यह रही कि विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव विजय गोखले दोनों बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। गोखले ने तो केलप्सा के साथ कुछ देर हिंदी में ही बात की। पिछले महीने भारत की यात्रा पर आईं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी हिंदी बोलकर वाहवाही लूटी थी। इन दिनों कई विदेशी राजनयिक फिलहाल हिंदी सीखने की कोशिश में जुटे हैं।

वर्चस्व की लड़ाई

सत्ता संघर्ष का सबसे बड़ा हथियार राजनीति है, जिसके जरिये वर्चस्व की लड़ाई परवान चढ़ती है। सियासी गलियारों में तो यह आम है, लेकिन अब इसकी तपिश नौकरशाही के हलकों तक पहुंच गई है। यह मामला कृषि भवन के एक बड़े मंत्रालय में दो आला अफसरों के बीच शीत युद्ध से जुड़ा हुआ है। वरिष्ठता क्रम को दरकिनार कर बैठने की होड़ तो रहती ही है। उनमें बड़ा ऑफिस और ऊंची कुर्सी पर कब्जा जमाने की प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है। दरअसल, बड़े साहब के नजदीक काम करने वाले इन अफसरों में नेताओं की देखादेखी कुर्सी पर कब्जा करने की हसरतें जोर मारने लगीं। दोनों अफसरों के कमरे वैसे तो अलग-अलग हैं, लेकिन मौका देखकर एक साहब ने कमरा ही बदल लिया। बस अंदरूनी मतभेद गहराने लगा। मंत्रालय में इन अफसरों की आपसी शह-मात की चर्चा भी अब आम हो गई है। पीएस के कमरे में ओएसडी का कब्जा हो गया है, जिसे वह छोड़ने को राजी नहीं है। माना जा रहा है कि बड़े साहब के हस्तक्षेप के बाद ही मामला सुलझ पाएगा।

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।